न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–4, जनपद अमरोहा।
सत्र परीक्षण सं0–200/2018
CNRNo-UPJB010025032018
राज्य बनाम प्रणव कुमार उर्फ प्रणव उर्फ संजीव आदि।
अपराध la0&735/2017
धारा–427, 395, 397, 412 भा.दं.सं.
थाना–गजरौला जिला अमरोहा।

आदेश

02.09.2022

————:–पत्रावली किशोर अपचारी घोषित किये जाने पर आदेश हेतु पेश हुई। अपचारी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा .चुका है।

किशोर अपचारी निर्धारण प्रार्थना पत्र का निस्तारण

मुकदमा अपराध संख्या–735/2017 अन्तर्गत धारा 395, 397, 427, 412 भा0दं0सं0 थाना गजरौला के मामले में प्रा0पत्र सं0–13बी. प्रार्थी/अभियुक्त सचिन पुत्र हरीराम की ओर से स्वयं को किशोर अपचारी घोषित किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पत्रावली वर्तमान समय में साक्ष्य हेतु नियत चल रही है। दौरान साक्ष्य किशोर अपचारी घोषित किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त का यह कथन है कि वह उक्त मामले में जमानत पर है और हाईस्कूल की मार्कशीट में उसकी जन्मतिथि 10.07. 2000 अंकित है जबकि उपरोक्त मुकदमें में कथित घटना दिनांक 28.12.2017 की होना दर्शायी गयी है। इस प्रकार उपरोक्त मुकदमा अपराध की कथित दिनांक 28.12.2017 को प्रार्थी/अभियुक्त की आयु 17 वर्ष 5 माह 18 दिन थी और वह घ ाटना की दिनांक 28.12.2017 को नाबालिक था।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में वह नामजद अभियुक्त नही है इससे भी प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाया गया अपराध उसकी अपरिपक्व मानसिक स्थिति को दर्शाता है तथा शारीरिक कद काठी भी प्रथम दृष्टया उसके अपचारी किशोर होना प्रदर्शित करते हैं।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त को अपचारी घोषित फरमाया जाने की याचना की गयी है।

अपचारी के विद्वान अधिवक्ता एंव अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्र एवं साक्ष्यों का परिशीलन किया गया।

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रार्थी/अभियुक्त की हाईस्कूल की मार्कशीट की छायाप्रति और आधारकार्ड की छायाप्रति को प्रस्तुत किया है।

मौखिक साक्ष्य में अपचारी की ओर से किशोर घोषित किये जाने के समर्थन में सी0डब्लू0–1 के रूप में अशोक कुमार एवं सी0डब्लू0–2 के हरिराम को परीक्षित कराया गया है।

सी0डब्लू0–1 अशोक कुमार अध्यापक कार्यालय सहायक ने अपने शपथपूर्वक बयान में कथन किया है कि ''हमारे विद्यालय सत्यप्रकाश लक्ष्मीदेवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज हसनपुर जिला अमरोहा में सचिन पुत्र हरिराम सिहं ने कक्षा 9 में दिनांक 08.07.2013 को प्रवेश लिया था, सचिन कुमार ने पूर्व विद्यालय की टी.सी. प्रवेश फार्म के साथ प्रस्तुत की थी, सचिन कुमार की जन्मतिथि टी.सी. में दिनांक 10.07.2000 है तथा विद्यालय के एस.आर. रजिस्टर

Digitally signed by SURYA PRAKASH SINGH
Date: 2022.09.02 16:58:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के नं0–1609 में जन्मतिथि 10.07.2000 है, एस.आर. रजिस्टर की फोटोप्रति प्रमाणित करके पत्रावली में दाखिल कर रहा हूॅ और सचिन ने शैक्षिक वर्ष 2014–2015 में हमारे विद्यालय से बोर्ड परीक्षा से कक्षा 10 उत्तीर्ण की थी। गवाह को कागज सं0–15बी./1 दिखाया गया तो जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यह छात्र सचिन की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकतालिका है जिससे सचिन ने दसवीं कक्षा पास की थी''।

सी0डब्लू0–2 हरिराम जोकि प्रार्थी/अभियुक्त का सगा पिता है शपथ पूर्वक बयान में यह कहा है कि ''सचिन कुमार मेरा पुत्र है, उसकी जन्मतिथि 10.07.2000 है, हाईस्कूल शिक्षा मेरे पुत्र ने सत्यप्रकाश लक्ष्मीदेवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज हसनपुर से संस्थागत छात्र के रूप में सत्र 2014–2015 में यू. पी. बोर्ड से उत्तीर्ण की थी, हाईस्कूल की अंकतालिका/प्रमाणपत्र में सचिन की जन्मतिथि 10.07.2000 अंकित है तथा कथित घटना की दिनांक को उसका पुत्र नाबालिग था''।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के धारा 94 के प्रावधानों में यह उल्लिखित है कि–

यदि समिति या बोर्ड के पास इसके बारे में सन्देह करने के लिये उपयुक्त आधार हो कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, तब बोर्ड निम्नलिखित साक्ष्य की मांग करते हुए उसकी आयु के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करेगा।

1– विद्यालय से जन्म प्रमाण पत्र या सम्बद्ध परीक्ष बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र की जन्म तिथि और उसके अभाव में,

2– निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र,

3– और उपरोक्त दोनों के अभाव में उसकी आयु का बोर्ड के आदेश पर किये गये अस्थि परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु निर्धारण परीक्षण के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

उपरोक्त मामले में पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने स्वयं को नाबालिग होना बताया है। कथित जन्मतिथि को पुष्ट करने हेतु उक्त अधिनियम में वर्णित धारा 94 में दर्शायी गयी प्रक्रिया में तहत उसके द्वारा अपचारी के संबंध में कक्षा 10 उत्तीर्ण की मार्कशीट को प्रस्तुत किया गया है।

सुना एवं प्रा0पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी सचिन नामजद नही था लेकिन बाद में विवेचना के दौरान उसका नाम प्रकाश में आया और उसकी उम्र 20 वर्ष दर्शाते हुए उसके विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

किशोर अपचारी अधिनियम की धारा 7ए. में यह व्यवस्था की गयी है कि ''यदि कोई न्यायालय के समक्ष कथन करता है कि अभियुक्त व्यक्ति घटना कारित करने की दिनांक को किशोर अपचारी था। ऐसी स्थिति में संबंधित न्यायालय इसकी जांच कर सकता है और इस संबंध में साक्ष्य लेकर आयु का निर्धारण उस व्यक्ति के संबंध में कर सकता है, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ही आयु का निर्धारण नही किया जाएगा बल्कि संबंधित विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा भी आयु के संबंध में जांच किया जा सकता है''।

मामले में एवं अखिलेश यादव बनाम विश्वनाथ चतुर्वेदी 2013(2) एस.सी.सी.(1) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उद्धृत करते हुए यह कथन किया है कि ''जांच में हाईस्कूल प्रमाणपत्र व जन्मतिथि की जांच करते समय साधारण प्रक्रिया के तहत स्कूल रिकार्ड को सत्यता व निष्पक्षता की जांच के लिए हर मामले में मंगाया जाना आवश्यक नही है''।

ऋषिपाल सिहं सोलंकी बनाम उ0प्र0राज्य कि.अपील नं0–1240/2021 निर्णीत दिनांक 18.11.2021 एस.एस.सी. में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह वर्णित किया गया है कि ''जहां प्रा0पत्र किशोर अपचारी घोषित कराने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है वहां धारा 94(2) व सपठित धारा 9 आयु के निर्धारण में साक्ष्य अभिलिखित करने में सहायक है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जहां यह संदेह करने के लिए उपयुक्त आधार है कि क्या न्यायालय के समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नही तब बोर्ड/न्यायालय निम्नलिखित साक्ष्य की मांग करते हुए उसकी आयु निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करेगा जैसे–

1– विद्यालय से जन्म प्रमाण पत्र या सम्बद्ध परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र की जन्म तिथि और उसके अभाव में,

2– निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र,

3– और उपरोक्त दोनों के अभाव में उसकी आयु का बोर्ड के आदेश पर किये गये अस्थि परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु निर्धारण परीक्षण के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

बालकों के संबंध में आयु का निर्धारण करते समय उपरोक्त धाराओं का कठोरता से निर्वचन नही किया जाना चाहिए''।

प्रस्तुत मामले में घटना कारित करने की दिनांक 28.12.2017 को प्रार्थी सचिन की आयु 17 वर्ष 5 माह 18 दिन थी। इस संबंध में प्रार्थी की हाईस्कूल की अंकतालिका व आधारकार्ड की प्रतियों का अवलोकन किया और प्रार्थी को किशोर अपचारी घोषित किये जाने के संबंध में सी0डब्लू0–1 के रूप में अशोक कुमार अध्यापक कार्यालय सहायक व सी0डब्लू0–2 के रूप में हरिराम जोकि प्रार्थी सचिन का पिता है को परीक्षित कराया गया है।

सी0डब्लू0–1 ने अपने बयान में यह कथन किया है कि ''हमारे विद्यालय सत्यप्रकाश लक्ष्मीदेवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज हसनपुर जिला अमरोहा में सचिन पुत्र हरिराम सिहं ने कक्षा 9 में दिनांक 08.07.2013 को प्रवेश लिया था, सचिन कुमार ने पूर्व विद्यालय की टी.सी. प्रवेश फार्म के साथ प्रस्तुत की थी, सचिन कुमार की जन्मतिथि टी.सी. में दिनांक 10.07.2000 है तथा विद्यालय के एस.आर. रजिस्टर के नं0–1609 में जन्मतिथि 10.07.2000 है और एस.आर. रजिस्टर की फोटोप्रति प्रमाणित करके पत्रावली में दाखिल किया है'' और सी0डब्लू0–2 हरिराम जोकि प्रार्थी सचिन के पिता हैं उनके द्वारा भी हाईस्कूल अंकतालिका/प्रमाणपत्र में दी गयी प्रार्थी सचिन की जन्मतिथि 10.07.2000 को साबित किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी सचिन घटना की दिनांक को 17 वर्ष 5 माह 18 दिन का था और उसकी आयु घटना के समय 18 वर्ष से कम थी। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत घटना के समय प्रार्थी सचिन की आयु 18 वर्ष से कम होने के कारण प्रार्थी सचिन को

किशोर अपचारी घोषित किया जाता है और इस सत्र परीक्षण सं0–200/2018 , अ0सं0–735/2017 थाना गजरौला के अपराध से प्रार्थी सचिन की पत्रावली पृथक कर जांच/विचारण के लिए किशोर न्याय बोर्ड भेजी जावे। तदनुसार प्रा0पत्र निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत चल रही है। अतः शेष अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली साक्ष्य हेतु दिनांक 15.09.2022 को पेश हो।

(सूर्य प्रकाश सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–4,
जनपद अमरोहा।
02.09.2022